परिपत्र संख्या 20/10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)विधि/10/ 323 दिनांकः 15/7/10

परिपत्र

1.0 विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 3/09 के बिन्दु संख्या–viii में अन्य निर्देशों के साथ–साथ समस्त उप महनिरीक्षकों एवं अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) को राज्य के विरूद्ध निर्णित मुद्रांक प्रकरणों की पत्रावलियाँ 15 दिवस के भीतर मुख्यालय को परीक्षण हेतु भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं। यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों की पूर्ण–रूपेण पालना नहीं की जा रही है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र संख्या 3/09 के समस्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

2.0 मुख्यालय स्तर से राज्य के विरूद्ध पारित निर्णयों का विधिक परीक्षण किया जाकर रिवीजन योग्य पाये जाने वाले प्रकरणों में निर्णय के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3.0 इस संबंध में यह ध्यान में आया है कि मुख्यालय स्तर से प्रकरण परीक्षण के बाद रिवीजन हेतु दिये गये निर्देशों की यथासमय, यथाविधि अपेक्षित रूप से पालना नहीं की जा रही है अर्थात् जिन प्रकरणों में रिवीजन के आदेश दिये हैं उनमें से कितने प्रकरणों में रिवीजन दायर हुआ है, रिवीजन समयवधि में दायर हुआ है अथवा समयावधि बाहर, इसकी कोई सूचना मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हो रही है? रिवीजन दायर करने के आदेशों की मोनोटरिंग के लिए विभिन्न स्तरों पर पंजिका/रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया जा रहा है।

4.0 अतः विभागीय स्तर पर परीक्षण पश्चात् मुद्रांक प्रकरणों/स्टाम्प रिवीजन में दिये गये रिवीजन/रिट याचिका पेश करने के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं :–

4.1 *मुख्यालय की विधि शाखा के स्तर से कार्यवाही* :–

(i) मुख्यालय की विधि शाखा में कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा मुद्रांक प्रकरणों में राज्यपक्ष के विरूद्ध पारित निर्णय की पत्रावलियाँ परीक्षण हेतु प्राप्त होने पर निम्न प्रारूप में न्यायालयवार रजिस्टर खोलकर, उसमें प्रविष्टियाँ की जावें :–

क्र. सं.	कलक्टर (मुद्रांक) का प्रकरण संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक	मुख्यालय के द्वारा परीक्षणोपरांत लिये गये निर्णय का विवरण	उप महानिरीक्षक को पत्रावली लौटाने का पत्रांक/दिनांक तथा रिवीजन प्रस्तुत करने के निर्देशों की दशा में आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6

(ii) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा स्टाम्प रिवीजन में पारित निर्णय की प्रतियाँ प्राप्त होने पर उनकी सूचना निम्न प्रारूप रजिस्टर में संधारण किया जायेगा :–

क्र. सं.	स्टाम्प रिवीजन संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक	निर्णय के संबंध में विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया	रिट याचिका पेश करने के निर्णय की स्थिति में प्रभारी अधिकारी का नाम	रिट याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक व रिट याचिका संख्या व उनवान
1	2	3	4	5	6	7

4.2 विभाग द्वारा दिये गये रिवीजन, रिट याचिका दायर करने के आदेश की पालना में कर बोर्ड अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन/रिट याचिका प्रस्तुत हो जाने की सूचना प्राप्त न होने तक प्रत्येक 15 दिवस में संबंधित उप पंजीयक अथवा प्रभारी अधिकारी को स्मरण कराते हुए प्रति संबंधित उप महानिरीक्षक को उप विधि परामर्शी द्वारा दी जावे।

5.0 <u>उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत स्तर से कार्यवाही</u> :-

(i) स्टाम्प प्रकरणों में राज्य पक्ष के विपरीत पारित निर्णय की पत्रावलियाँ मुख्यालय को प्रेषित करने के संबंध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत कार्यालय स्तर पर निम्न प्रारूप रजिस्टर में संधारण किया जायेगा :-

क्र. सं.	कलक्टर (मुद्रांक) का प्रकरण संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक	राज्यपक्ष के विपरीत पारित निर्णय की पत्रावलियाँ मुख्यालय को भिजवाने का पत्रांक व दिनांक	मुख्यालय से परीक्षणोपरांत पत्रावलियाँ पुनः प्राप्त होने पर मुख्यालय अजमेर का पत्रांक व दिनांक	मुख्यालय अजमेर से निर्णय के संबंध में रिवीजन दायर करने के निर्देश प्राप्त हुए तो रिवीजन दायर करने की तिथि व अन्य की गई कार्यवाही का विवरण	राज0 कर बोर्ड के निर्णय की दिनांक, सारांश तथा पालना स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

(ii) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा स्टाम्प रिवीजन में पारित निर्णयों की पत्रावलियाँ प्राप्त होने पर निम्न प्रारूप रजिस्टर में संधारण किया जायेगाः-

क्र. सं.	स्टाम्प रिवीजन संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक	निर्णय का संक्षिप्त विवरण	मुख्यालय अजमेर से निर्णय के संबंध में प्राप्त निर्देशों का संक्षिप्त विवरण	मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में दायर रिट याचिका की दिनांक व नम्बर	रिट याचिका में निर्णय की दिनांक, सारांश व पालना स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

6.0 <u>उप पंजीयक स्तर से कार्यवाही</u> :-

राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (वॉल्यूम-1 के नियम 96 के अन्तर्गत रजिस्टर का प्रारूप (अपेन्डिक्स-I प्रारूप 24) दिया हुआ है, जिसके अन्तर्गत पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर नम्बर-24 का संधारण किया जाना अनिवार्य है। उक्त रजिस्टर में निम्न सूचना संधारित की जावे :-

(i) निरीक्षण के दौरान कमी मुद्रांक, कमी मालियत एवं गलत वर्गीकरण के मामलों में निकाली गई मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि का इन्द्राज रजिस्टर नम्बर-24 में आक्षेपवार किया जावे।

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होते ही सभी आक्षेपों का इन्द्राज तत्काल किया जावे।

(iii) आडिट आक्षेपों की अनुपालना में वसूल की गई राशि का या रेफरेन्स बनाकर भेजा गया हो तो प्रकरण संख्या का इन्द्राज किया जावे।

(iv) प्रकरण में निर्णय होने पर उसका इन्द्राज संबंधित कॉलम में किया जावे यदि निर्णय के तहत राशि वसूली योग्य हो तो वसूली करके उसका इन्द्राज किया जावे।

(v) रजिस्टर नम्बर-24 में रिमार्क कालम में मुख्यालय अजमेर से निर्णय के संबंध में रिवीजन पेश करने के निर्देश प्रापत होने की स्थिति में रिवीजन पेश करने की

दिनांक, रिवीजन संख्या, उनवान, निर्णय दिनांक व निर्णय सारांश भी दर्ज किया जावे।

(vi) मुख्यालय से रिवीजन में पारित निर्णय के संबंध में रिट याचिका पेश करने के निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में रिमार्क कालम में रिट याचिका पेश करने की दिनांक, रिट याचिका संख्या व उनवान एवं रिट याचिका में हुए निर्णय का भी अंकन किया जावे।

(vii) यदि रिमार्क कालम में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो अलग पृष्ठ पर उप पैरा 6 (*v*), 6 (*vi*) की सूचनाओं का इन्द्राज कर, रजिस्टर में चस्पा किया जावे।

6.1 कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा स्टाम्प रिवीजन में पारित निर्णयों के विरूद्ध जिनमें मुख्यालय के द्वारा दिनांक 1.4.09 से 30.6.10 तक की अवधि में रिवीजन पेश करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं, उनमें रिवीजन पेश करने की सूचना मुख्यालय को निम्न प्रारूप में भिजवावें तथा आगे इसी क्रम में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र. सं.	*कलक्टर (मुद्रांक) का प्रकरण संख्या*	*उनवान*	*निर्णय दिनांक*	*रिवीजन प्रस्तुत करने का आदेश व दिनांक*	*रिवीजन प्रस्तुत करने की दिनांक, रिवीजन संख्या व उनवान*	*रिवीजन पेश न करने की स्थिति में कारणों का संक्षिप्त विवरण*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

महानिरीक्षक, 15/7/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)विधि/10/ 324-774 दिनांकः 15/7/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर